(c) The policies taken in 1991-92 will lapse in the year 1992-93 in the event of non-payment of premiums and the details of the lapses of the policies of 1991-92 will therefore be available only after the finalisation of the valuation as at 31-3-1993 which is to be completed in September, 1993.

(d) Appropriate action against the persons responsible for the lapse is being taken.

**Income Tax Exemption**

3507. SHRI V. RAJESHWAR RAO : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether, in view of the 100 per cent exemption of donations from income tax, if given to Universities, the donations given in the year 1993-94 would be entitled for such concession;

(b) what is the name of the competent authority which will approve the University as eligible for such concession; and

(c) the date from which the competent authority would begin considering applications from Universities for this purpose ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASHEKHAR MURTHY) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c) The competent authority for considering applications of Universities will be notified shortly and the notification in this regard will be laid on the Table of the House.

**वरिष्ठ अधिकारियों के परिसरों पर छापे**

3508. **श्री सोम पाल :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान मुख्य सचिव/सचिव स्तर के अधिकारियों के परिसरों पर आयकर विभाग द्वारा मारे गए छापों का राज्यवार ब्यौरा क्या है तथा कितने अधिकारी दोषी पाए गए ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे अधिकारियों और उनकी सम्पत्ति का ब्यौरा क्या है ;

(ग) उनके विरूद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति)** : (क) से (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान एक मुख्य सचिव/सचिव स्तर के अधिकारी के परिसरों की आयकर विभाग द्वारा तलाशी ली गई थी ।

कर्नाटक बैंक लि० की विभिन्न शाखाओं में 64.5 लाख रु० के सकल फर्जी निक्षेपों के बारे में प्राप्त हुई सूचना के आधार पर बैंक के विकास अधिकारी श्री राजाराम खानदिगे, जिन्होंने उन सभी जमाकर्ताओं का परिचय करवाया था, के परिसरों की आयकर विभाग द्वारा दिनांक 22-6-1990 को तलाशी ली गई थी । तलाशी के दौरान रिकार्ड किए गए बयान में श्री खानदिगे ने बताया कि श्री जे० अलेक्जेंडर तत्कालीन वित्त आयुक्त कर्नाटक सरकार द्वारा इन निक्षेपों के लिए धनराशि की व्यवस्था की गई थी । यह सूचना लोक आयुक्त को भेजी गई थी, जिस पर लोक आयुक्त तथा आयकर विभाग द्वारा श्री अलेक्जेंडर के परिसरों की तलाशी ली गई थी । किसी परिसम्पत्ति का अभिग्रहण नहीं किया गया । आयकर अधिनियम की धारा 132(3) के अन्तर्गत सावधिक निक्षेप रखे गए थे । कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा धारा 132(5) के अन्तर्गत कार्यवाहियां स्थगित की गई हैं । तथापि, तलाशी के दौरान मालूम की

गई परिसम्पत्तियों के अभिग्रहण के स्रोत की जांच-पड़ताल सहित आयकर अधिनियम के अन्तर्गत यथा उल्लिखित अनुवर्ती कार्यवाही की गई है।

**राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक मण्डलों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्ति**

**3509. श्री रामजी लाल :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक मण्डलों में पिछड़े वर्गों तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कितने व्यक्ति नियुक्त किए गए हैं,

(ख) इस संबंध में राज्यवार और श्रेणीवार ब्यौरा क्या है,

(ग) इन बैंकों में अध्यक्ष के पद पर इन श्रेणियों के कितने व्यक्तिनियुक्त किएगए हैं,

(घ) उक्त मण्डलों में उक्त श्रेणियों के कुल कितने पद स्वीकृत किए गए हैं और क्या 28 फरवरी, 1993 की स्थिति के अनुसार ये सभी पद भर दिए गए हैं,

(ङ) यदि हां, तो उनका बैंकवार ब्यौरा क्या है, और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और रिक्त पदों विशेषतौर पर पिछड़े वर्गों तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित पदों को भरने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

**वित्त संत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबदार अहमद)**

(क) से (च) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 और और 1980 में 20 राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशकमण्डल में प्रत्येक में एक-एक अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक और 9 गैर सरकारी निदेशकों की नियुक्ति का प्रावधान है। राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक मण्डलों में नियुक्तियां स्कीम में निर्धारित मानदण्डों और प्रक्रियाओं के अनुसार की जाती हैं। इन योजनाओं में अनुसूचितजातियों/अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों को विशेष रूप से अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक और राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्ड गैर-सरकारी निदेशक नामित करने का प्रावधान नहीं है। तथापि, सरकार प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक के बोर्ड में कम से कम एक गैर-सरकारी निदेशक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का नियुक्त करने का प्रयास करती है। इस समय राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्डों में 7 गैर सरकारी निदेशक अ०जा०/अ०ज०जा० के हैं। इन निदेशकों के नाम उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम जहां के वे निवासी हैं और उन बैंकों के नाम जिनके बोर्डों में वे नियुक्त हैं इस प्रकार हैं:—

| क्र० सं० | निदेशक का नाम | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | बैंक का नाम |
|---|---|---|---|
| 1. | श्री बाहुरा एक्का | बिहार | बैंक आफ बड़ौदा |
| 2. | श्री आर० टी० रामवै | मेघालय | यूको बैंक |
| 3. | श्रीमती मल्लाजामा | कर्नाटक | यूनियन बैंक आफ इंडिया |
| 4. | श्री मदन वर्मा | दिल्ली | बैंक आफ महाराष्ट्र |
| 5. | श्री राज कुमार नागरथ | उत्तर प्रदेश | आंध्रा बैंक |
| 6. | श्री राजगुरू दयाराम तुलसीराम | महाराष्ट्र | कार्पोरेशन बैंक |
| 7. | श्रीमती संतोष चौधरी | चंडीगढ़ | पंजाब एंड सिंध बैंक |

राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्ड निरंतर बने रहने वाले बोर्ड हैं और जब भी कोई रिक्त स्थान होता है तो उसे समय-समय पर भर लिया जाता है। इस समय 6 बैंकों में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशकों का पद रिक्त है और 20 राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्डों में गैर सरकारी निदेशकों के 88 पद रिक्त हैं। इसके अतिरिक्त इस समय पदासीन 92 गैर-सरकारी